



UPBJ010105652022

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी- (Sri Avdhesh Kumar), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074

सेशन्स केस संख्या 41/2023

सरकार

बनाम

असलम आदि

आरोप

मैं अवधेश कुमार, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्तगण **असलम व मुराद अली** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ-

1- यह कि दिनांक 10-08-2022 को समय 06:00 बजे वहद ग्राम कबाडीवाला थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादिनी मुकदमा श्रीमती गुडडी को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **323/34** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा श्रीमती गुडडी को विवस्त्र करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **354ख** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा श्रीमती गुडडी को लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी-गन्दी गालियों देते हुए अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा श्रीमती गुडडी को अपमानित करने के आशय से विवस्त्र करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग कर जाति सूचक गन्दी-2 गालियाँ यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति की सदस्या है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध

कारित किया जो धारा 3 (1) द एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा श्रीमती गुडडी को विवस्त्र करने के आशय से जाति सूचक गालियाँ यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति की सदस्या है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 3 (1) घ एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनांक 14-06-2023

(अवधेश कुमार)  
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)  
बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनांक 14-06-2023

(अवधेश कुमार)  
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)  
बिजनौर।

UPBJ010105652022  
न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor  
सेशन्स केस संख्या 41/2023

सरकार

बनाम

असलम आदि

**14-06-2023**

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्तगण असलम व मुराद अली मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक भी उपस्थित है।

पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण असलम व मुराद अली के विरुद्ध धारा 323/34, 354ख, 504 भा0द0सं0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनांक 14-06-2023

(अवधेश कुमार)

विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट  
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण असलम व मुराद अली के विरुद्ध धारा 323/34, 354ख, 504 भा0द0सं0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक -07-2023 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनांक 14-06-2023

(अवधेश कुमार)

विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट  
बिजनौर।